भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1743

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

स्टार्ट-अप्स में कामगार/कर्मचारी

1743. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टार्ट-अप्स द्वारा नियोजित कर्मचारी/कामगारों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्ष स्टार्ट-अप्स द्वारा 20,000 से अधिक कर्मचारियों को स्टार्ट-अप्स से निकाला गया और यदि हां, तो इस भारी छंटनी के क्या कारण हैं तथा कर्मचारियों/कामगारों को स्टार्ट-अप्स में बनाए रखने के लिए सरकार स्टार्ट-अप्स को किस प्रकार सुविधा प्रदान कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने 20,000 से अधिक कर्मचारियों के परिवारों के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टार्ट-अप्स द्वारा सेवा पर रखे गए कर्मचारियों/कामगारों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या देश में गत वर्ष स्टार्ट-अप्स द्वारा 20,000 से अधिक कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया; और

(च) यदि हां, तो इस भारी छंटनी के क्या कारण हैं तथा सरकार कर्मचारियों/कामगारों को नौकरी में बनाए रखने के लिए स्टार्ट-अप्स को किस प्रकार सुविधा प्रदान कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दी गई सूचना, जो डीपीआईआईटी के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा दी गई है के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार सृजित सीधी भर्ती की कुल संख्या अनुबंध में दी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजन सहित ले-ऑफ एक सामान्य घटना है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ले-ऑफ संबंधी मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा प्रशासित है जो ले-ऑफ के विभिन्न पहलुओं को भी नियंत्रित करते हैं।

जारी..2/-

आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 व्यक्तियों या उससे अधिक को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को, ले-ऑफ करने से पूर्व उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे ले-ऑफ़ जो आईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किए जाते हैं उन्हें अवैध माना जाता है। आईडी अधिनियम छटनी किए कामगारों के लिए मुआवजे के अधिकार का भी प्रावधान करता है। आईडी अधिनियम में सीमांकित उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कामगारों के मुद्दों को हल करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और छंटनी और इसकी रोकथाम से संबंधित मामलों सहित कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। हालाँकि, स्टार्टअप्स से संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य सरकारों के पास है। इस क्षेत्र में केंद्रीय स्तर पर छंटनी से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

* *******

अनुबंध

दिनांक 13.02.2023 को उत्तर देने के किए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022
1	महाराष्ट्र	29,845	37,583	51,357
2	कर्नाटक	27,457	20,994	24,487
3	दिल्ली	18,155	23,125	30,083
4	उत्तर प्रदेश	15,973	19,845	22,969
5	गुजरात	9,521	17,970	23,832
6	हरियाणा	10,888	10,304	13,713
7	तेलंगाना	8,982	10,030	14,187
8	तमिलनाडु	7,794	9,956	17,191
9	केरल	5,639	7,616	9,967
10	राजस्थान	4,710	5,631	11,640
11	मध्य प्रदेश	3,575	6,680	11,752
12	पश्चिम बंगाल	2,923	7,081	9,428
13	ओड़िशा	2,345	3,934	4,611
14	बिहार	2,309	3,145	4,509
15	आंध्र प्रदेश	3,007	2,359	3,061
16	पंजाब	1,741	2,432	2,308
17	छत्तीसगढ़	1,069	1,741	2,188
18	असम	877	1,431	2,589
19	झारखंड	1,436	1,472	1,919
20	उत्तराखंड	762	1,705	1,650
21	जम्मू और कश्मीर	484	813	1,327
22	चंडीगढ़	361	753	861
23	गोवा	384	485	880
24	हिमाचल प्रदेश	283	346	999
25	त्रिपुरा	765	95	202
26	मणिपुर	125	409	300
27	पुदुचेरी	68	205	237
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	31	136	147
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32	72	71
30	नागालैंड	32	86	71
31	मेघालय	0	120	61
32	मिजोरम	2	15	106
33	अरुणाचल प्रदेश	0	31	66
34	सिक्किम	2	29	22
35	लद्दाख	3	0	32
36	लक्षद्वीप	7	0	0
	कुल	**161,587**	**198,629**	**268,823**

******